

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में पटवारी 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 19 अक्टूबर, बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये चन्द्रभान जाट पटवारी, पटवार हल्का मोरिजा-ए, जयपुर को परिवादी से 10 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पत्नी के नाम जमीन पर चढ़े गलत रहन का शुद्धीकरण करने तथा फौती नामान्तकरण खोलने की एवज में चन्द्रभान जाट पटवारी, पटवार हल्का मोरिजा-ए, जयपुर द्वारा 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. श्री विष्णुकान्त के सुपरवीजन में एसीबी की जयपुर नगर तृतीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री मूलचंद मीणा एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये चन्द्रभान जाट पुत्र श्री कजोड़मल निवासी गांव गठवाड़ी, तहसील जमुवारामगढ़, जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का मोरिजा-ए, जयपुर को परिवादी से 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।